

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला बारां (राज.)

कार्यवाही पत्र सं.	धारा अन्तर्गत	ग्राम	तहसील
113/2020	33, 33, 33, 30, 188 RTI	बहावदा	बारां
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
नवीन कुमार	जनाम	शमेश्वर वर्मा	

वकील :- श्री बालमुकुंद ठाकुर एवं श्री रामेश्वर वर्मा वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
23/3/2020	श्री बालमुकुंद ठाकुर एवं श्री शमेश्वर वर्मा ने वादीपक्ष की ओर से वाद पत्र पेश किया है जो कि ग्राहक के खिलाफ है। दूर शिफ्ट किया जाकर उपवादीपक्ष को तलब किया जाये। पत्रावली वस्तु तलबी दि. 16/10/2020 को पेश हो	11/12/20 8/2/21 8/3/21 30/4/21
16/10/20	पत्रावली पेश की वकील बारी उप जिला मजिस्ट्रेट बारां दिनांक 11/12/20 से पेश है।	
8/12/21	पत्रावली पेश की वकील बारी उप जिला मजिस्ट्रेट बारां दिनांक 8/12/21 से पेश है।	
8/12/21	गिरासीन अधिकारी श्री अशोक कुमार की हस्तलिखित बारां में रहने से पूर्ववत दिनांक को प्रस्तुत की।	
30/4/21	गिरासीन अधिकारी श्री अशोक कुमार की हस्तलिखित बारां में रहने से पूर्ववत दिनांक को प्रस्तुत की।	
21/6/21	गिरासीन अधिकारी श्री अशोक कुमार की हस्तलिखित बारां में रहने से पूर्ववत दिनांक को प्रस्तुत की।	

कार्यवाही एवं आदेश

विविध संदर्भ

25

पत्रवाही पत्रादि एवं तस्वीर वादी एवं उद्दिवादी उक्त
 नही तस्वीर वादी एवं उद्दिवादी के हीन का
 आताज न्यवात्रि गिरे। कावज्जुद अचवा के तस्वीर
 वादी एवं उद्दिवादी न्याप्राल्प के उक्त नही। अतः
 वादी न काप अदम हाज्जरी अदम पत्रकी के
 तस्वीर लिया जाया है। पत्रवाही के तस्वीर मुद्रा
 दीन काप तस्वीर तस्वीर तस्वीर के
 दामिद्वर वपतल है।